राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:— 269/प्रा0पत्र/2024 — दायरा दिनांक :—11.12.2024

1. रामकुंवार पिता कल्याण जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा (गुढा गोकुलपुरा) तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक :— 14/08/2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 120 के खसरा संख्या 664/273 रकबा 0.5342 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.5342 हैक्टेयर वाके ग्राम रघुनाथपुरा पटवार मण्डल गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में स्थित है, जो प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी में दर्ज है, जिस पर प्रार्थी निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है, उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी को नाम रामकरण दर्ज हो रहा है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामकरण अंकित हो रहा है, जबकि प्रार्थी को सही नाम रामकुंवार है, जो प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेज में दर्ज है, इसलिए उक्त गलत इन्द्राज दुरूस्त होने योग्य है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक्स, राशन कार्ड, पेन कार्ड, जॉबकार्ड, जनआधार कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम रामकुंवार दर्ज है एवं भूमि खाता संख्या 130 वाके ग्राम रघुनाथपुरा पटवार मण्डल गोकुलपुरा के राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रार्थी का नाम रामकुंवार ही दर्ज है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामकरण दर्ज होने के कारण प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहा है। प्रार्थी का नाम रामकुंवार है और पहचान के सभी दस्तावेज में भी रामकुंवार ही नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर रामकरण के स्थान पर रामकुंवार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने हल्का पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 15.11.2024 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपना नाम रामकरण के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर रामकुंवार दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम रामकुंवार दर्ज करवावे। उपरोक्त भूमिया वाके ग्राम रघुनाथपुरा पटवार मण्डल गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर ही हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि भूमि खाता संख्या 120 के खसरा संख्या 664/273 रकबा 0.5342 हैक्टैयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.5342 हैक्टेयर वाके ग्राम रघुनाथपुरा पटवार मण्डल गोकुलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में स्थित के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम रामकरण के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर रामकुंवार दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/25/1670 दिनांक :–06.06.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम रघुनाथपुरा के खाता संख्या 120 में प्रार्थी का नाम रामकरण पुत्र कल्याण दर्ज रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों को उक्त खाता नम्बर में दर्ज रामकरण पुत्र कल्याण व रामकुंवार पुत्र कल्याण एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज रामकरण पुत्र कल्याण के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम रामकुंवार पुत्र कल्याण दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी का उक्त नाम विरासत के इंतकाल से दर्ज हुआ है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम रामकुंवार पुत्र कल्याण है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जानें का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "**भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपनें निरीक्षण के दौरान नोटिस करें।**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, जमाबंदी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 130 पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम रामकुंवार पुत्र कल्याण दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम रामपुरिया पटवार मण्डल सहसपुरिया के खाता संख्या 120 में दर्ज रामकरण पुत्र कल्याण के स्थान प्रार्थी का सही नाम रामकुंवार पुत्र कल्याण शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 14.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

14/08/2025

(शिवराज मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली